



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(01)परावि/प्रशा.1/आरआरडीएस-2018/संस्थापन/2021/ 2085 जयपुर दिनांक:- 7/6/22

-: आदेश :-

कार्मिक (क-4/2) विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 24.12.2021 से राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर विभागीय आदेश क्रमांक 3620 दिनांक 25.12.2021 द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के चयनित 47 अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान कर 7 दिवस में विभागीय मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस विभागीय आदेश की बिन्दु संख्या 17 के अनुसार इन अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस के पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं तथा न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

निम्नांकित राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारी द्वारा विभागीय मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर विभागीय पत्र क्रमांक 1422 दिनांक 09.05.2022 द्वारा 7 दिवस में मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु लिखे जाने के उपरांत भी इनके द्वारा आदिनांक तक विभागीय मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई और न ही कोई सूचना विभाग को प्रस्तुत की गयी:-

क्र. सं.	विभागीय नियुक्ति आदेश दिनांक	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्व सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्मतिथि
1	20	270	809074	खुशबू जैन	GE,WE	27.04.1986

अतः विभागीय आदेश क्रमांक 3620 दिनांक 25.12.2021 की क्रम संख्या 20 पर अंकित उक्त राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारी का नियुक्ति आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

१-
(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सुश्री खुशबू जैन, सेक्टर 3, प्लॉट नं. 109, अपोलो अपार्टमेन्ट के पास, न्यू विद्याधन नगर, जयपुर, राजस्थान पिन 302039।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

रजिस्टर्ड

१-
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (प्रशा.1)